5. ऐसे में वादपत्र में उल्लेखित विवाद्यक/विषयवस्तु के सम्बन्ध में उससे जुड़े प्रत्येक पहलू एवं हक रखने वाले समस्त पक्षकारों के हक अधिकारों के सम्बन्ध में कानूनी प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में वाद पत्रावली का समुचित निर्णयन करना ही न्यायालय का वास्तविक कार्य एवं दायित्व है। किसी भी पक्षकार के विरुद्ध आधे–अधूरे तथ्यों एवं केवल वादी के वाद–पत्र मात्र के आधार पर उसके हक अधिकार तय नहीं किये जा सकते है।

अतः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रकरण का विनिश्चय तकनीकी रूप से किए जाने के बजाय गुणावगुण पर किया जाना न्याय की पहली आवश्यकता है, साथ ही एक काश्तकार से तकनीकी प्रक्रियाओं का कठोरता पूर्वक अनुपालन किए जानें की अपेक्षा किया जाना कुछ अतिरेक होगा, साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि किसी भी वाद की कार्यवाही के दौरान वाद से सम्बन्धित सभी पक्षकारान को समुचित अवसर प्रदान करना प्राकृतिक न्याय का आधारभूत सिद्धांत है। अतः प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र खारिज/अस्वीकार किया जाना विधि संगत एवं न्याय की मंशा के अनुरूप होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत आदेश– 03 परिसीमा अधिनियम 1963 प्रार्थीगण/वादीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण विरुद्ध बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
(जिला–ब्यावर)

निर्णय आज दिनांक 28/08/2024 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
(जिला– ब्यावर)